Capital during the years 1992, 1993, 1994 and 1995 (upto 31.10.1995) is given in the enclosed statement *(see* below).

(b) and (c) As and when any report regarding crime against women is received, cases are registered promptly under the appropriate section of law and efforts are made to arrest the accused persons immediately. Adequate evidence against the criminals is collected to prosecute them.

The steps taken to curb crime against women are as under:—

(i) Offences under the Dowry Prohibition Act have been made cognizable and non-bailable.

(ii) Section 498A has been added in the Indian Penal Code making cognizable the offences of harassment and cruelty to women by their husbands and in-laws.

(iii) Sections 113-A and 113-B have been inserted in the Indian Evidence Act providing for presumption by a Court as to abetment of suicide by/dowry death of a married woman if cruelty or harassment for dowry is proved.

(iv) In respect of cases of death within seven years of marriage section 304-B IPC has been inserted to provide for raising a presumption against husband or in-laws, thus shifting the onus of burden of proof to them.

(v) Inquest by SDM has been made mandatory where death of a woman occurs in suspicious circumstances.

(vi) A Special Cell for Crime Against Women has been set up. Such cells have also been set up in each District of Delhi Police.

(vii) Policemen are detailed for duty at Girl's Colleges and Schools, in running buses and also at important market places which are frequented by women in order to check cases of eve-teasing, etc.

(viii) Training in unarmed combat by the Crime Against Women Cell is being imparted to women and girls in schools, colleges and residential colonies to improve their self-defence capabilities.

Statement

Head	1992	1993	1994	1995 (upto 31.10.95)
Murder	119	139	125	112
Rape	284	315	321	308
Molestation of Women	226	259	291	439
Dowry Death	129	127	158	127
406-IPC (relating to dowry)	211	299	170	56
498-A IPC (Cruelty by husband or in-laws)	625	809	985	839
Dowry Prohibition Act	6	10	13	12
Kidnapping/ Abduction of Women	679	562	693	722

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में निगरानी तंत्र

2383. **श्री ईश दत्त यादव:**
चौधरी हरमोहन सिंह:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में कोई निगरानी तंत्र नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो गत दो वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों संबंधी किन-किन योजनाओं की समीक्षा की गई और उसके क्या परिणाम निकले हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मंत्रालय की योजना स्कीमों का मध्यावधि मूल्यांकन योजना आयोग में किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कतिपय स्कीमों के एकीकरण/कुछ संशोधन की सिफारिश की थी। अब ऐसा कर दिया गया है और संलग्न विवरण **(नीचे देखिए)** में दी गई संशोधित स्कीमों को 8वीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए स्थाई वित्त समिति/व्यय वित्त समिति ने स्वीकृति दे दी है।

विवरण

1995-96 की योजना स्कीमें

क. खाद्यान्न प्रसंस्करण सेक्टर

1. फसलोत्तर प्रौद्योगिकी केन्द्र, आई॰आई॰टी॰ खड़गपुर।
2. धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, तंजावूर।
3. प्रादेशिक विस्तार सेवा केन्द्र (धान कुटाई)।
4. अनुसंधान और विकास व अनाज प्रसंस्करण, मशीनरी परीक्षण केन्द्र।
5. धान कुटाई उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु सहायता।
6. खाद्य इंजीनियरिंग केन्द्र।

ख. फल और सब्जी प्रसंस्करण

1. ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए सहायता संबंधी स्कीम।
2. बुनियादी सुविधाओं की स्थापना हेतु सहायता संबंधी स्कीम।
3. फल व सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना हेतु सहायता संबंधी स्कीम।
4. व्यापक प्रचार के लिए सहायता।
5. फल व सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए सहायता संबंधी स्कीम।

ग. मांस और पाल्ट्री प्रसंस्करण

1. पाल्ट्री व अंडा प्रसंस्करण के विकास हेतु स्कीम।
2. मांस प्रसंस्करण के विकास हेतु स्कीम।
3. अनुसंधान, प्रौद्योगिकी व प्रशिक्षित जनशक्ति विकास परिषद।
4. राष्ट्रीय मांस पाल्ट्री उत्पाद विकास परिषद।
5. विपणन सुविधाओं, बुनियादी सुविधाओं और परिवहन का विकास।

घ. मात्स्यकी

1. गहन समुद्री मत्स्यन और प्रसंस्करण कार्य में सहायता हेतु स्कीम।
2. गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों को प्राप्त करने के लिए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने हेतु स्कीम।
3. विविधीकृत मत्स्यन में सहायता हेतु स्कीम।
4. तटरक्षक बल के लिए संचार सुविधाएं स्थापित करने हेतु धनराशि की व्यवस्था करके भारत का सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1981 के कारगर कार्यान्वयन के लिए स्कीम।
5. मछली के प्रसंस्करण और परिरक्षण हेतु बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के लिए स्कीम।
6. राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी विकास बोर्ड की स्थापना हेतु स्कीम।
7. अनुसंधान और विकास तथा गुणवत्ता सुधार।
8. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण।

ङ. उपभोक्ता उद्योग

1. सोयाबीन पारंपरिक खाद्य और पैकेजिंग में अनुसंधान व विकास स्कीम।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश।
   I. मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इं॰) लि॰
   II. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम

च सचिवालय आर्थिक सेवाएं

1. नोडल एजेंसियों को मजबूत बनाने के लिए स्कीम।
2. फल व सब्जी प्रसंस्करण निदेशालय प्रशिक्षण शिक्षा और गुणवत्ता प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए स्कीम।

3. राष्ट्रीय / अंतराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना ;

4. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए स्कीम

5. निष्पादन पुरस्कारों के लिए स्कीम।

6. खाद्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना हेतु स्कीम

7. आर्थिक व मानीटरिंग सेल की स्थापना समेत प्लान पोस्ट हेतु स्कीम।

जबलपुर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-7 की मरम्मत

2384. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जबलपुर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 7 पर रद्दी चौकी से धमापुर चौक तक की सड़क पाइप लाइन के रिसने से बहुत खराब हो गई है;

(ख) यदि हां, तो पाइप लाइन को राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पर स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) उस स्थान से पाइप लाइन को कब तक हटाया जाएगा; और

(घ) सड़क की मरम्मत का कार्य कब तक पूरा होगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम राजशेखर मूर्ति): (क) जी हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग का कथित भाग एक "अनुपयुक्त शहरी संपर्क मार्ग" का हिस्सा है जिसके विकास और रख-रखाव का कार्य राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है। तदनुसार, मध्य प्रदेश सरकार को रिसाव को बन्द करने और पाइपलाइन को स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाने की भी सलाह दी गई है।

Permission to Paper Pulp Company, Pune, Maharashtra

2385. SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether any paper and pulp company situated at Indapur District Pune, Maharashtra has been granted permission by Central Government;

(b) whether the clearance was suspended on the 6th June, 1995 because of the perenial water problem faced in the area;

(c) whether the evaluation committee visited the site on 4th September, 1995 if so, what are the findings of the evaluation committee; and

(d) whether the suspension stands revoked; and if so, on what date with details thereof.?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI RAJESH PILOT): (a) and (b) Yes, Sir. The project was accorded clearance from the environmental angle subject to certain environmental safeguards on 27th April, 95 but such clearance was suspended on 16th June, 95.

(c) The site visit team observed that no significant deterioration on the quality of back waters of Ujanni Dam or on the availability of the water in the region are envisaged as the project is based on imported bleached pulp.

(d) Yes, Sir. The suspension order was withdrawn on 25th July, 95 subject to the condition that the Ministry reserves the right to cancel the environmental approvaloif, after the site visit, the project is not found environmentally compatible.

Mangalore Refinery Project

2386. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) what are the details of development of Mangalore Refinery project so far;

(b) by when the project is likely to be completed; and

(c) what is the estimated cost of the project?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPTAIN SATISH SHARMA): (a) In April 1991, Government had approved the setting up